न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 33 / 2022

उनवान

1 शांति देवी पत्नी श्रीलाल टांक जाति खटीक नि0 ग्राम रामसर, नसीराबाद
—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत

बनाम

1 राजेश पुत्र महावीर प्रसाद जाति दर्जी नि0 ग्राम रामसर, नसीराबाद
2. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— अप्रार्थीगण :— 1 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक :— 24.6.22

—: आदेश :—

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिलाना द्वितीय (राजपुरा) की निम्न आराजी प्रार्थी की कयशुदा है।

हाल ख0न0	रकबा
3 / 226	0.09
4	0.22
5 / 227	0.26
8	0.44
8 / 228	0.60

प्रार्थी ने उक्त आराजी दिनांक 8.1.2007 को कय की थी जिसका नामान्तकरण हजारी पुत्र वोदू चमार के स्थान पर प्रार्थी के नाम दर्ज किया गया। उक्त आराजी पर कब्जा करने व अवैध खनन करने के दुराशय से अप्रार्थी बिना किसी हक व अधिकार के दखलदांजी कर रहे है। अप्रार्थी बलपूर्वक प्रार्थी की भूमि पर काबिज होना चाहता है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रा[illegible] जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र मय [illegible] प्रा[illegible] पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम राजपुरा प0म0 तिलाना की [illegible] आराजी जवाबक[illegible] लीजशुदा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:39:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पुराना खसरा नम्बर	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
2 मिन	7–10–10	4	0.22
		5	1.22
		8	0.44

...का लीजशुदा भूमि का पिलर अ कानपुरा की सरहद में आता है पिलर बी– राजपुरा के खसरा नम्बर 7 में आता है। पिजर सी– राजपुरा के खसरा नम्बर 17 में आता है। पिलर डी– राजपुरा के खसरा नम्बर 9 में आता है। अप्रार्थी की उक्त लीजशुदा भूमि का उपयोग अप्रार्थी लगातार करता आ रहा है। प्रार्थी को उक्त भूमि की लीज खानविभाग द्वारा जारी की गयी है। प्रार्थी का हाल खसरा नम्बर 8 जिसके साबिक खसरा नम्बर 2 मिन है पूर्व में राजस्व नक्शा में हाल खसरा नम्बर 8 के स्थान पर अंकित नही था। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाया गया है जिसमें उपस्थित व्यक्तियों ने संतुष्टि जाहिर की है। जिससें प्रमाणित होता है की जवाबकता॰ अपनी लीजशुदा भूमि पर ही खनन कार्य कर रहा है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय को गुमराह करके प्राप्त स्थान आदेश की आड में अप्रार्थी संख्या 1 का खनन कार्य रूकवा दिया है। प्रार्थी के खेतों को अप्रार्थी द्वारा कोई नुकसान नही किया है। आराजी मुतनाजा के हाल व पूर्व राजस्व मानचित्र में भिन्नता है। तथा उक्त राजस्व मानचित्र की दुरूस्ती हेतु प्रति प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को हैरान व परेशान करने की नियत से पेश किया है। अतः प्रार्थी को पावंद किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 की लीजशुदा भूमि पर खनन कार्य में व्यवधान उत्पन्न नही करे।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रति प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा राजस्व मानचित्र में त्रुटि होना स्वीकार किया है तथा प्रार्थी की खातेदारी आराजी वावत कोई खण्डन पेश नही किया है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर खनन विभाग लीज जारी नही कर सकता है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की आराजी पर खनन कार्य भी नही किया जा सकता है। अप्रार्थी ने अपने प्रति प्रार्थना पत्र में व्यायादेश चाहा है। अतः दोनो पक्षों को मौके की यथास्थिति वनाये रखने हेतु पावंद किया जाना उचित है।

वहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 3/226, 4, 5, 8, 5/227, 8/228 किता 5 रकबा 1.61 राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की एकल खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के पास ही अप्रार्थी संख्या 1 की लीजशुदा भूमि है। अर्थात प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि आस–पास ही स्थित है। प्रकरण में पूर्व में प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर दखलदांजी नही करने व खातेदारी भूमि पर खनन कार्य नही करने हेतु अप्रार्थी को जरियें अंतरिम अस्थायी निषेघाज्ञा पावंद किया गया था। अप्रार्थी ने जवाव पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर किसी प्रकार की दखलदाजी व खनन कार्य नही किया जा रहा है। किन्तु उक्त स्थगन की आड में प्रार्थी द्वारा उसे उसकी लीजशुदा भूमि पर खनन कार्य करने से रोका जा रहा है। जिस हेतु उसके द्वारा प्रति प्रार्थना पत्र प्रार्थी को पावंद करने हेतु पेश किया है। प्रार्थी द्वारा प्रति प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर उभयपक्ष को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि प्रार्थी भूमि की आराजी का रेकार्डेड खातेदार होने से व अप्रार्थी की लीजशुदा भूमि होने से दोनों पक्ष अपने हक व हिस्से तक भूमि का उपयोग उपभाग करने हेतु स्वतंत्र है। अप्रार्थी का कथन है कि आराजी मुतनाजा के हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:39:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

मानचित्र में त्रुटी है। किन्तु राजस्व मानचित्र में त्रुटि का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही होगा। प्रथम दृष्टया मामला सद्भावपूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है। जिसका गुणावगुण व अन्वेषण के आधार पर विनिश्चय किया जाता है। इसलिये साबित करने का भार उभयपक्ष पर है। अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रकरण प्रथम दृष्टया दोनो पक्षों के पक्ष में सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर कृषि कार्य करने व अप्रार्थी संख्या 1 अपनी लीजशुदा भूमि पर हाल राजस्व मानचित्र अनुसार खनन कार्य करने हेतु स्वतंत्र है। एक दूसरे की भूमि पर दखलदांजी नही करने हेतु उभयपक्ष को पाबंद किया जाना भी न्यायोचित है जिससे वाद बहुलता नही होगी। प्रार्थी व अप्रार्थी को मौके अनुसार ही आराजी मुतनाजा पर अपने कब्जे की स्थिति यथावत रखनी होगी ताकि वाद बहुलता नही हो। ऐसी परिस्थितियों में उनके विरूद्व व्यादेश जारी किया जाना न्यायोचित होगा। उभयपक्ष द्वारा एक दूसरे के कब्जे में दखलदांजी की जाती है तो दोनो पक्षों को अपूरणीय क्षति की संभावना है। अपूरणीय क्षति की संभावना भी उभयपक्ष के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को हाने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक उभयपक्ष सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी उभयपक्ष के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक उभयपक्ष सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे। किन्तु प्रकरण में राजस्व मानचित्र की स्थिति के निर्धारण तक मौके की स्थिति यथावत रखने के लिये दोनो पक्षों को पांबद किया जाना उचित होगा।

आदेश :– अतः ग्राम राजपुरा प0म0 तिलना की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी संख्या 1 का प्रति प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। प्रार्थी व अप्रार्थी को मूल वाद के निस्तारण तक जरियें अस्थायी निषेघाज्ञा पाबद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर एक दूसरे की आराजी पर किसी प्रकार की दखलदांजी नही करे अर्थात प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किसी प्रकार की दखलदांजी नही की जावे। तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वयं की लीजशुदा भूमि पर खनन कार्य करने पर प्रार्थी किसी प्रकार का व्यवधान कारित नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:39:39 IST
Reason: SelfAttested